Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

शैक्षणिक संस्थाएँ एवं मानव विकास

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGM02

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

शैक्षणिक संस्थाएँ एवं मानव विकास

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP विषय सूची (Contents)

1. मानव संसाधन विकास में शिक्षा-एक साधन **5-46**

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 6
1.2 सार्वभौमिक/समान प्रारंभिक शिक्षा 7
1.3 छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा 14
1.4 उच्च शिक्षा 20
1.5 छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा 24
1.6 तकनीकी शिक्षा 26
1.7 छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा 28
1.8 व्यावसायिक शिक्षा 31
1.9 छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक शिक्षा 33
1.10 शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ 34
1.11 शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल 35

2. मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका **47-67**

2.1 उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय आयोग 47
2.2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 50
2.3 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासनिक विश्वविद्यालय 51
2.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 52
2.5 मुक्त विश्वविद्यालय 53
2.6 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 54
2.7 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 55
2.8 राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद 56
2.9 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 58
2.10 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 58
2.11 भारतीय प्रबंधन संस्थान 60
2.12 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 61
2.13 भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 62
2.14 पॉलिटेक्निक 62
2.15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 63
2.16 छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिक्षण संस्थान 64

3. भारत में मानव संसाधन विकास **68-89**
3.1 कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता 71
3.2 मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता 75
3.3 रोज़गार के विभिन्न चलन 80

4. बालिका शिक्षा से संबंधित मुद्दे **90-113**
4.1 बालिका शिक्षा 90
4.2 भारत में महिलाओं के कल्याण हेतु अन्य महत्त्वपूर्ण कानून एवं विधायन 100
4.3 महिलाओं हेतु केंद्र एवं राज्यों की कल्याणकारी योजनाएँ 105

5. वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे **114-159**
5.1 वंचित वर्गों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे 114
5.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समक्ष असुरक्षा 116
5.3 भारत में अनुसूचित जातियों/शोषित तबकों से संबंधित संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ 123
5.4 केंद्र और राज्य सरकारों की अनुसूचित जातियों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ 125
5.5 भारत में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण छात्रवृत्तियाँ 128
5.6 अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु प्रावधान 128
5.7 अल्पसंख्यकों का कल्याण 131
5.8 अल्पसंख्यकों से संबंधित कार्यक्रम एवं संस्थाएँ 133
5.9 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 141
5.10 भारत में अनुसूचित जनजातियों हेतु संवैधानिक संरक्षण एवं प्रावधान 142
5.11 भारत में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु कानून और विधायन 143
5.12 भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की निगरानी हेतु संवैधानिक निकाय 148
5.13 जनजातियों के उत्थान/विकास हेतु अन्य प्रयास 150
5.14 केंद्र व राज्यों की अनुसूचित जनजातियों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ 151
5.15 वर्तमान परिदृश्य : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 156

6. नि:शक्तजन से संबंधित मुद्दे **160-176**
6.1 विकलांग से दिव्यांग 160
6.2 नि:शक्तता के कारण 161
6.3 भारत में नि:शक्तजन और जनगणना–2011 162
6.4 भारत में नि:शक्तजनों की समस्याएँ 163
6.5 भारत में नि:शक्तजनों के कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान 164
6.6 भारत में नि:शक्तजनों के संरक्षण हेतु कानून एवं विधायन 165
6.7 नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु कुछ योजनाएँ 168
6.8 भारत में मानसिक रोगी 173

अध्याय
1

मानव संसाधन विकास में शिक्षा-एक साधन
(Education in Human Resource Development-A Mean)

शिक्षा एक ऐसा साधन है जो राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में एक जीवंत भूमिका निभा सकता है। यह नागरिकों की विश्लेषण क्षमता सहित उनका सशक्तीकरण करता है, उनके आत्मविश्वास का स्तर बेहतर बनाता है और उन्हें शक्ति से परिपूर्ण करता है एवं दक्षता बढ़ाने के लक्ष्य तय करता है।

शिक्षा में केवल पाठ्यपुस्तकों का ज्ञान होना ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें मूल्य, कौशल तथा क्षमताओं में भी वृद्धि की जाती है। इससे व्यक्ति को अपने कॅरियर और साथ ही प्रगतिशील मूल्यों के साथ एक नए समाज के निर्माण में एक उपयोगी भूमिका निभाने में सहायता मिलती है। अत: शिक्षा व्यक्तिगत स्तर के साथ मानव जाति की बेहतरी के लिये पूरे समाज में बदलाव ला सकती है।

शिक्षा का क्षेत्र भारत सरकार के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये प्रावधानों तथा योजनाओं को नियमित रूप से तैयार किया जाता रहा है।

मानव संसाधन विकास का सार शिक्षा है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में संतुलन के लिये उल्लेखनीय और उपचारी भूमिका निभाती है। चूँकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन हैं इसलिये हमारे बिलियन-सुदृढ़ राष्ट्र को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिये बुनियादी शिक्षा के रूप में पोषण और देखभाल की ज़रूरत है। इसके लिये हमारे नागरिकों के समग्र विकास की ज़रूरत है, जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का सृजन भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर, 1985 को किया गया था, जो दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है:

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- उच्चतर शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिये उत्तरदायी है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़े उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य 'शिक्षा के सार्वभौमीकरण' एवं युवाओं में से बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके लिये नियमित रूप से विभिन्न नई स्कीमें एवं पहलें प्रारंभ की जाती हैं। अभी हाल ही में इन स्कीमों के फलस्वरूप स्कूलों में बढ़ते हुए नामांकन के तौर पर प्रमाण मिलना प्रारंभ हो गया है।

दूसरी तरफ, उच्चतर शिक्षा विभाग देश की उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान में विश्व स्तरीय अवसर पैदा करने के कार्य में लगा हुआ है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे न रहें। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक विचारों का लाभ प्रदान करने के लिये संयुक्त उपक्रम प्रारंभ किये हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

उद्देश्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका अक्षरश: कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ शिक्षा तक लोगों की पहुँच आसान नहीं है, में शैक्षिक संस्थाओं की पहुँच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास।
- निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना।
- समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति, छूदण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ था।
- सारांश नामक ऑनलाइन सुविधा सीबीएसई द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई।
- दीक्षा पोर्टल को एक टैगलाइन 'नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फार ऑवर टीचर के साथ लांच किया गया है।
- राष्ट्रीय आविष्कार अभियान वर्ष 2015 में शुरू किया गया है।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम वर्ष 2015 से शुरू किया गया है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है?
2. व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
3. शिक्षा को परिभाषित कीजिये।

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. दीक्षा पोर्टल क्या है?
2. ट्रांसफार्मिंग इंडिया क्या है?
3. शगुन पोर्टल क्या है?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. शिक्षा किस तरह से मानव संसाधन विकास में सहायक है? विवेचना कीजिये।
2. नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की विस्तृत व्याख्या कीजिये।
3. शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? उनका समाधान बताइये।

नोट: वर्ष 2018 से पूर्व परीक्षा प्रणाली में दीर्घउत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत 100/250/500 शब्द सीमा वाले प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जबकि नवीन परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत 100/125/175 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

अध्याय
2

मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका (Role of Various Institutions in Human Resource Development)

भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। इतने बड़े जनसमूह को अगर कुशल संसाधनों के माध्यम से कौशलयुक्त बनाया जाए तो यह देश के विकास में समुचित योगदान दे सकता है, साथ ही इस कौशल युक्त श्रम बल के निर्यात से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी तथा साथ ही बड़ी संख्या में रोज़गार का सृजन भी किया जा सकेगा।

भारत सरकार द्वारा मानव संसाधनों के उचित विकास के लिये कई संस्थाओं का निर्माण किया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर मानव का विकास बाधित न हो। मानव के विकास में शिक्षा का योगदान सर्वाधिक है। उचित शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी देश को मज़बूत बनाया जा सकता है।

शिक्षा व मानव कुशलता के समुचित विकास के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन 26 सितंबर, 1985 में किया गया था। मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का विस्तार करना है। इसके लिये मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग कार्य करते हैं, पहला- स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग तथा दूसरा उच्चतर शिक्षा विभाग। इन विभागों के अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कई संस्थाओं का निर्माण किया गया है तथा ऐसी कई संस्थाएँ हैं जिनका वित्तीय पोषण इस मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएँ प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कार्यरत हैं। इनमें एन.सी.ई.आर.टी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन.आई.ई.पी.ए., राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान आदि प्रमुख हैं।

2.1 उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय आयोग *(National Commission for Higher Education and Research)*

सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने देश में उच्च शिक्षा एवं शोध के विकास के लिये राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग गठित करने की सिफारिश की थी। प्रो. यशपाल ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया समेत 13 अन्य नियामक अनुसंधान एवं संस्थाओं का विलय कर एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का सुझाव दिया था।

इस संबंध में तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार ने 28 दिसंबर, 2011 को राज्यसभा में उच्च शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011 को पेश किया था। यह विधेयक यूजीसी अधिनियम, 1956, ए.आई.सी.टी.ई. अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 को निरस्त करता है। यह आयोग उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संवर्द्धन और समन्वय के लिये सहायक सिद्ध होता किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर, 2014 को इस विधेयक को वापस ले लिया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि विधेयक के तहत जिस आयोग के गठन का प्रस्ताव था, उसकी ज़रूरत को लेकर कई सवाल उठ रहे थे।

वर्तमान सरकार ने जून 2018 में यूजीसी कानून को समाप्त कर एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिये प्रस्तावित अधिनियम का प्रारूप जारी किया है।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग *(Higher Education Commission of India)*

हाल ही में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने और उसकी निगरानी के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को खत्म कर एक नए संस्थान भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) को लाने के लिये मसौदा जारी किया गया है।

अध्याय
3

भारत में मानव संसाधन विकास (Human Resource Development in India)

मानव संसाधन एक वृहद् अवधारणा है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। मानव संसाधन प्रबंधन की धारणा व्यक्ति अथवा मानव को एक संसाधन (Resource) के रूप में देखती है। यह एक व्यवसाय अथवा संगठन के कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को उनकी दक्षता/कौशल अथवा योग्यता के परिप्रेक्ष्य में एक परिसंपत्ति (Asset) के रूप में देखता है। मानव संसाधन विकास की धारणा के तहत यह मान्यता है कि व्यक्ति की योग्यता, कुशलता, दक्षता, नवाचारी प्रवृत्ति, जोखिम धारिता की प्रवृत्ति, अंतर्निहित क्षमता का प्रयोग कर उन्हें एक प्रभावी उत्पाद के रूप में बदला जा सकता है। कुशल श्रम बल (Skilled Labour Force) और विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति मानव संसाधन प्रबंधन के ज़रिये सुनिश्चित हो पाती है।

मानव संसाधन प्रबंधन व विकास की रणनीति का ध्यान प्रमुख रूप से इस बात पर होता है कि व्यक्ति दक्षता प्राप्त करने के उच्च स्तरों की मानसिकता से जुड़ सके, जिससे उसके कार्य निष्पादन में सुधार आए। निर्धनता, बेरोज़गारी, भुखमरी जैसी समस्याओं का निराकरण कर व्यक्तियों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहभागिता कराने के प्रयास को भी मानव संसाधन प्रबंधन की रणनीति के रूप में देखा जाता है।

भारत में दक्षता विकास को मानव संसाधन विकास की प्रमुख रणनीति के रूप में देखा गया है। इस संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किये गए राष्ट्रीय दक्षता मिशन में दक्षता विकास कार्यक्रमों के नियंत्रण हेतु प्रतिमान की तरफ रुख करना होगा एवं प्रोत्साहनों की व्यवस्था करनी होगी। दक्षता विकास के लिये एक समन्वित कार्यवाही योजना के महत्त्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम (NSDC) ने अच्छी प्रगति की है। लेकिन इसके बावजूद मांग आधारित दक्षता तैयार करने के प्रमुख क्षेत्रों में ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है।

मानव संसाधन विकास के सिद्धांत *(Principles of HRD)*

विभिन्न विद्वानों ने मानव संसाधन विकास विषय पर विचार किया है एवं HRD के निम्नलिखित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है-

- मानव संसाधन एक संपूर्ण मानव है अर्थात् उसके आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलू एवं पक्ष हैं जो उसके मूल्यों एवं मनोभावों, विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं जिनके साथ ही कार्मिक संगठन में प्रवेश करता है।
- मानव संसाधन विकास प्रोग्रामों के द्वारा मानव संसाधन की क्षमताओं में विकास किया जा सकता है।
- कार्मिकों की पृष्ठभूमि, आकांक्षाएँ एवं मूल्यों में परस्पर भिन्नता पाई जाती है अत: हर कार्मिक अलग तरह से प्रबंधित होना चाहिये तथा उनके लिये अलग सिद्धांत एवं उपागम अपनाएँ जाने चाहिये।
- समय के साथ मानव संसाधन की महत्ता में वृद्धि हुई है क्योंकि अन्य संसाधनों से भिन्न यह एक ऐसा संसाधन है जो निरंतर सीखने एवं अपना विकास करने की प्रक्रिया में लिप्त है।
- कार्मिक किसी संगठन की अनमोल पूंजी होते हैं। अत: इस संसाधन का सम्मान होना चाहिये।
- कोई भी कार्य हो वहाँ नेतृत्व का विकास बने रहना अनिवार्य है।
- कार्मिक एवं संगठन के संबंधों का संचालन पूर्ण सच्चाई एवं निष्ठापूर्वक होना चाहिये।
- किसी भी संगठन को अपने ग्राहकों को दोषरहित वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिये अर्थात् ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिये, यह तब होगा जब संगठन में कार्मिक संतुष्ट होंगे। कार्मिकों को केवल मानव संसाधन विकास गतिविधियों द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है।

अध्याय
4

बालिका शिक्षा से संबंधित मुद्दे
(Issues Related to Girls Education)

शिक्षा मानव जीवन का आधार स्तंभ है। शिक्षा मानव ससांधनों के विकास का प्रमुख उत्प्रेरक है। यह नैतिक एवं आंतरिक शक्ति प्रदान करती है जो शोषण एवं गरीबी से मुक्ति पाने के लिये अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की एक व्यवस्थित विधा है।

जॉन डीवी के अनुसार- शिक्षा व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास है, जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूर्ण कर सके।

मित्तल के अनुसार- शिक्षा जहाँ व्यक्ति को समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल विकसित करने तथा समाज में निरंतरता एवं नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। वहीं बदलते परिवेश में व्यक्तियों की अपेक्षाओं के अनुरूप समाज में आवश्यक बदलाव लाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

यह समाज द्वारा प्रायोजित होती है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज के एक उपतंत्र के रूप में कार्य करती है। किसी समाज के स्वरूप को बनाने बनाए रखने तथा उसमें परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति की अनिवार्य शर्त के रूप में प्राथमिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करती है। यह प्रथम सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा पर ध्यान देकर हम शिक्षित समाज और आदर्श राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते है। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा का प्रथम सोपान होता है, इस स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में अनेक प्रारंभिक स्तर का चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक व संवेगात्मक विकास होता है। इन सभी विकास प्रक्रियाओं के साथ ही शैक्षिक प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है, इसी स्तर पर जीवन के विकास की आधारशिला रखी जाती है। प्राथमिक शिक्षा देश की भावी पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करने तथा उसके चरित्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान करती है।

शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ही स्वाधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की संकल्पना की गई थी।

4.1 बालिका शिक्षा *(Girls Education)*

स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज में बालिकाओं की शिक्षा पर महत्त्व नहीं दिया जाता था। इसके कई पहलू हैं। भारतीय समाज में वंशवाद हावी है। अत: पुत्र की चाह समाज के सभी तबकों में है। इसके अलावा दहेज़ जैसी सामाजिक बुराई भी है जो लड़कियों को हाशिये पर डाल देती है। समाज की सोच यह है कि लड़कियों की शिक्षा पर जितना धन खर्च किया जाएगा उतना इकट्ठा कर दहेज़ की मांग को पूरा किया जा सकता है। अत: लड़कियों की शिक्षा पर उतना ज़ोर नहीं दिया जाता है।

स्वतंत्रता के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा में मंद गति से सुधार आरंभ हुआ तथा बालिका शिक्षा का विस्तार उस गति से नहीं हो सका जैसा कि अपेक्षित था। किसी भी समाज का उत्थान नारी शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है। आधुनिक समय में इस बात की स्वीकारोक्ति की गई तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये किया जा रहा है।

बालिकाओं के ड्रापऑउट (स्कूल छोड़ना) की समस्या *(School Dropout Problem of Girls)*

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत है। कई राज्यों में महिला साक्षरता दर 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार, राजस्थान सबसे पिछड़े हैं। जहाँ क्रमश: केवल 51.50 प्रतिशत, 52.12 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। इस परिस्थिति से यह

अध्याय
5

वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे
(Issues Related to Deprived Classes)

भारत में सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाता है। सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाने लगा है।

ये लोग उच्च जातियों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार थे। 'अस्पृश्य' कही जाने वाली इन जातियों की पहचान हेतु ब्रिटिश सरकार ने शोषित वर्ग (Depressed Class) शब्द का प्रयोग किया था। 1908 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को तीन वर्गों- हिंदू, जनजातीय एवं शोषित वर्ग में बाँटने का सुझाव दिया। 1931 में अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 'शोषित वर्ग' का नाम बदलकर 'अनुसूचित जाति' करने का प्रस्ताव रखा। 1935 में 'अनुसूचित जाति' शब्द को अपना लिया गया ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े इस वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

5.1 वंचित वर्गों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे
(Issues Related to Education of Deprived Classes)

भारत अनेक विभिन्नताओं एवं विविधताओं वाला देश है। उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषायी विविधताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसलिये जब हम 'सबके लिये शिक्षा' की बात करते हैं तो हमें उन बच्चों (वंचित वर्गों के बच्चों), जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी आवश्कताओं का भी ध्यान रखना होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जहाँ देश में कुल साक्षरता दर लगभग 74.04 प्रतिशत है, वहीं अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.10 प्रतिशत है।

वंचित वर्गों की शैक्षिक विकास का तुलनात्मक परिदृश्य

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, समानता व मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधानों व संशोधनों को शामिल किया गया है। आज देश को आज़ाद हुये लगभग 70 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी हमारा देश सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विश्व पटल पर पिछड़ा हुआ है। इसका प्रमुख कारण है- शिक्षा एवं साक्षरता में पिछड़ापन। इस स्थिति से उबरने के लिये समय-समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू भी किया, लेकिन उनके आशातीत परिणाम संभवत: इसलिये ही नहीं मिल पाए, क्योंकि अभी तक विद्यालयों में वंचित समूहों के बच्चों को शत प्रतिशत नामांकन नहीं कराया जा सका है और यदि इन बच्चों ने कहीं प्रवेश ले भी लिया तो उनमें से अधिकांश शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय छोड़ जाते हैं। इस तथ्य को इस बात से समझा जा सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल साक्षरता दर, जहाँ 74.04% है वहीं अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.10% ही है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर महिला साक्षरता दर पर एक नजर डालें तो ज्ञात होगा कि वर्ष 2011 में सामान्य महिला साक्षरता दर 64.6% थी।

वंचित वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिये कार्यक्रम

वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा से सबंधित कार्यक्रमों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बाँट सकते हैं। पहला वह कार्यक्रम जो सभी बच्चों के लिये हैं और दूसरा वह कार्यक्रम जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये ही तैयार किये गए हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों को तैयार किया है। सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मानव ससाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के दो मुख्य कार्यक्रम हैं, जो कि इस दिशा में लागू किये गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आठ साल तक के सभी बच्चों को सभी प्रकार के लैंगिक व सामाजिक अंतर व भेदों को दूर रखते हुए उच्च प्राथमिक स्तर तक की पूर्ण शिक्षा प्रदान करना था।

अध्याय
6

नि:शक्तजन से संबंधित मुद्दे
(Issues Related to Disabled People)

एक अनुमान के मुताबिक विश्व की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या किसी-न-किसी रूप में नि:शक्तता या शारीरिक दुर्बलता से प्रभावित है। नि:शक्तता शब्द के कई अर्थ हैं। हालाँकि मोटे तौर पर नि:शक्तता स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत है। स्वास्थ्य को इसके विभिन्न कार्य क्षेत्रों, जैसे- गतिशीलता, पहचानने, सुनने एवं देखने की कार्यक्षमता की संकल्पना (विश्व स्वास्थ्य संगठन-2004) के रूप में समझा जा सकता है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के उभरने से नि:शक्त लोगों की संख्या बढ़ रही है।

6.1 विकलांग से दिव्यांग *(Viklang to Divyang)*

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केंद्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक ज़ोर देने के लिये 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक् डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। हालाँकि दिसंबर 2014 को इस विभाग का नाम बदलकर 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' कर दिया गया। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 'विकलांग' की जगह 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग करने की अपील की थी।

हालाँकि प्रमुख नि:शक्तजन आधारित संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 'विकलांग' शब्द के स्थान पर 'दिव्यांग' कहे जाने का विरोध किया। विरोध के पीछे का तर्क बताया जा रहा कि 'दिव्यांग' कह देने भर से उनके साथ होने वाला भेदभाव कम नहीं होगा जिसे वे वर्षों से सहते आए हैं। इन संगठनों ने आगे लिखा कि सरकार को कलंक व भेदभाव के मुद्दे उठाने चाहिये कि किस तरह एक दिव्यांग अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद समाज और अर्थव्यवस्था में प्रभावी तरीके से अपनी भागीदारी निभाता है।

भारत "एशिया-प्रशांत में नि:शक्तजनों की बराबरी और पूर्ण भागीदारी से जुड़े समझौते" पर हस्ताक्षर कर चुका है। इसके अलावा भारत ने एक समावेशी, बाधारहित और अधिकारयुक्त समाज की दिशा में प्रयत्नशील बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है।

नि:शक्तता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन *(World Health Organization on Disability)*

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शारीरिक दुर्बलता, नि:शक्तता और असामर्थ्यता के बीच अंतर किया है।

शारीरिक दुर्बलता (Impairment) मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या शरीर रचना या शारीरिक कार्यशैली में कमी या दुर्बलता है।

एक सामान्य व्यक्ति के लिये अपेक्षित कार्य दक्षता की तुलना में नि:शक्तता (Disability) किसी तरह का कार्य करने की क्षमता में रुकावट या कमी की स्थिति है (जो कि शारीरिक दुर्बलता से उत्पन्न होती है)।

असामर्थ्यता (Handicap) एक व्यक्ति के लिये प्रतिकूल परिस्थिति या अलाभ की स्थिति है जो कि शारीरिक दुर्बलता या नि:शक्तता से उत्पन्न होती है और उस भूमिका को पूरा करने से रोकती है जो उस व्यक्ति के लिये सामान्य समझी जाती है। ऐसा व्यक्ति उम्र, लिंग या सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करता है।

2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कृत्य (Functioning), नि:शक्तता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जारी किया। इसने मोटे तौर पर नौ कार्यों का वर्णन किया जिन्हें करने में नि:शक्त लोग कठिनाई का सामना करते हैं। जैसे-

- सीखना या ज्ञान का उपयोग करना
- सामान्य कार्य और मांगें
- संप्रेषण
- गतिशीलता

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456